न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 485/2018 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

श्योजी पुत्र बच्छा जाति मीणा निवासी उम्र 58 वर्ष निवासी चारनेट तह. दूनी जिला टोंक (राज0)

– प्रार्थी–

बनाम

1. मोडू पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी उम्र ... वर्ष निवासी चारनेट तह. दूनी (राज0)
2. भुवान पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी उम्र ... वर्ष निवासी चारनेट तह. दूनी (राज0)
3. दुर्गा पुत्र रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी उम्र ... वर्ष निवासी चारनेट तह. दूनी (राज0)
4. सावली पुत्री रामचन्द्र पति रामलाल जाति मीणा उम्र ... वर्ष निवासी केदारा तह. दूनी (राज0)
5. लटूरी पुत्री रामचन्द्रा पति जगदीश जाति मीणा उम्र ... वर्ष निवासी केदारा तह. दूनी (राज0)
6. छोटी पुत्री रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी उम्र ... वर्ष निवासी केदारा तह. दूनी (राज0)
7. ग्यारसी पत्नी रामचन्द्रा जाति मीणा निवासी उम्र ... वर्ष निवासी चारनेट तह. दूनी (राज0)
8. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक (राज0)

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री राजेश कुमार नागर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 175 ख. नं. 247 रकबा 1.16 है0 बारानी 2 वाके तनग्राम चारनेट पटवार हल्का चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कुंआ खुदवा रखा हे जिस पर प्रार्थी का हमेश आना जाना रहता है । प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात पर समय–समय पर हकाई –जुताई करने व कुंए पर कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधनो की आवाजाही रहती है। उक्त कृषि भूमि पर आने जाने हेतु सरकारी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है ना ही वर्तमान में प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता मौजुद है। प्रार्थी उक्त आराजीयात पर जाने के

लिए चारनेट से गुराई जाने वाले आम सरकारी रास्ते से उतर की ओर अप्रार्थीगण की लगती हुई कृषि भूमि खाता सख्या 97 ख. नं. 283 बारानी 2 स्थित है, जिसमें से होकर ही प्रार्थी अपने कुंए खेत पर आ जा सकता है तथा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु सुगम एवं सरल है। इस कारण प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने पर अप्रार्थीगणों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तथा प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात से पहले अप्रार्थीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि ख. नं. 283 बारानी 2 वाके तने ग्राम चारनेट पटवार हल्का चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजीयात में से ही होकर अपनी आराजीयात पर आता जाता है तथा काश्त करता है लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामाना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित व अति आवश्यक है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार व तत्पर हैं अप्रार्थीगण संख्या 8 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं अन्य कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— मुताबिक रिकॉर्ड एवं मौका अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम चारनेट पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी के अनुसार रास्ते की चौडाई 5 मीटर एवं लम्बाई 80 मीटर यानि 400 वर्ग मीटर क्षैत्रफल का, ख. नं. 283 में से होगा। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि ख. नं. 283 रकबा 0.65 है0 ग्राम चारनेट में स्थित है जो आबादी भूमि से 1/2 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 2,37,006/— रू0 प्रति हैक्टेयर है। जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 18456/— रूपये होती है। आवेदक की आराजी ख. नं. 247 रकबा 1.16 है0, ग्राम चारनेट में स्थित है, जो कि राधाकिशन पुत्र छीतर हि0 1/3, श्योजी पुत्र बच्छा हि0 1/3 रतनलाल पुत्र कंचन सोहनी पुत्रियां ग्यारसी देवी पत्नी स्व. चुन्ना हि0 1/3 कोम मीणा सा. देह खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ग्राम चारनेट के ख. नं. 283 रकबा 0.65 है0 में से रास्ता चाहता है, जिसे लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में चिन्हित कर दिया गया हैं । प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, पक्का निर्माण नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नही है। रास्ता प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की रिपोर्ट संलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के

लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 187 ख0नं0 247 रकबा 1.16 है0, मे कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर रास्ते की चौडाई 5 मीटर एवं लम्बाई 80 मीटर यानि 400 वर्ग मीटर क्षैत्रफल ख. नं. 283 रकबा 0.65 है0 ग्राम चारनेट में से देय है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 2,37,006/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 18456/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली